रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99 REGD. NO. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 1958] नई दिल्ली, सोमवार, मई 28, 2018/ज्येष्ठ 7, 1940
No. 1958] NEW DELHI, MONDAY, MAY 28, 2018/JYAISTHA 7, 1940

वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय

(वाणिज्य विभाग)

(विदेश व्यापार महानिदेशालय)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 28 मई, 2018

सं. 09/2015–2020

विषयः विदेश व्यापार नीति 2015–2020 के अध्याय–1 में संशोधन।

का. आ. 2171(अ).—विदेश व्यापार नीति, 2015–2020 के पैरा 1.02 के साथ पठित विदेश व्यापार (विकास एवं विनियमन) अधिनियम, 1992 की धारा 5 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्र सरकार एतद्द्वारा विदेश व्यापार नीति 2015–2020 में निम्नलिखित संशोधन करती है।

दिनांक 01.04.2015 से विदेश व्यापार नीति 2015–20 के अध्याय–1 के पैरा 1.40 के बाद निम्नलिखित पैरा को शामिल किया जाता है।

''1.41 रोजगार के अवसरों को बढ़ाने की दृष्टि से हथकरघा, हस्तशिल्प, चमड़ा, समुद्री उत्पाद, खेलकूद के सामान और खिलौने के लिए कतिपय विशेष फोकस पहलों की आवश्यकता है। इन क्षेत्रों को निम्नलिखित शुल्क मुक्त (दिनांक 01.07.2017 से केवल मूल सीमा शुल्क) हकदारी प्रदान की जा रही हैः

i. हथकरघा

क. विशिष्ट कतरनों और सजावटों की शुल्क मुक्त आयात हकदारी पिछले वित्तीय वर्ष के दौरान किए गए निर्यातों के पोत पर्यन्त निःशुल्क मूल्य के 5 प्रतिशत तक होगी। हथकरघा और मेडअप्स को हकदारी में शामिल किया गया है।

ख. हाथ से बुनी हुई चटाई के नमूनों पर शुल्क मुक्त आयात की हकदारी पिछले वित्तीय वर्ष के दौरान किए गए निर्यात के पोत पर्यन्त निःशुल्क मूल्य के 1 प्रतिशत तक होगी।

ii. हस्तशिल्प

क. औजारों, कतरनों और सजावटों की शुल्क मुक्त आयात हकदारी पिछले वित्तीय वर्ष के दौरान किए गए निर्यातों के पोत पर्यन्त निःशुल्क मूल्य के 5 प्रतिशत तक होगी। हकदारी सहायक विनिर्माताओं के साथ जुड़े व्यापारी निर्यातकों को भी दी जायेगी।

ख. हस्तशिल्प निर्यात संवर्धन परिषद उन निर्यातकों की तरफ से जिनके लिए सीधे आयात करना व्यावहारिक नहीं है, कतरनों, सजावटों और उपभोज्यों का आयात करने के लिए अधिकृत है।

iii. चमड़ा और जूते

क. विनिर्दिष्ट मदों की शुल्क मुक्त आयात हकदारी गत वित्तीय वर्ष के दौरान चमड़े के वस्त्र के निर्यात के पोत पर्यन्त निःशुल्क मूल्य के 3 प्रतिशत तक होगी।

ख. जूतों (चमड़े के और सिंथेटिक दोनों), दस्ताने, यात्रा बैग और हैंड बैग के लिए कतरनों, सजावटों और जूते उपांगों के आयात के लिए शुल्क मुक्त हकदारी पिछले वित्तीय वर्ष के निर्यात के पोत पर्यन्त निःशुल्क मूल्य के 3 प्रतिशत तक होगी। ऐसी हकदारी पैकिंग सामग्री, जैसे प्रिन्टेड और गैर–प्रिन्टेड जूते के बाक्स, लकड़ी के छोटे कार्टन, जूतों की पैकिंग के लिए टिन या प्लास्टिक सामग्री पर भी लागू होगी।

iv. समुद्री क्षेत्र

विनिर्दिशट विशिशट निविष्टियों/रसायनों और सुगंधित तेलों का शुल्क मुक्त आयात पिछले वित्तीय वर्ष के निर्यात के पोत पर्यन्त निःशुल्क मूल्य के 1 प्रतिशत के बराबर अनुमत होगा।

v. खेलकूद का सामान और खिलौने

विनिर्दिष्ट विशिष्ट निविष्टियों के शुल्क मुक्त आयात की अनुमति पिछले वित्तीय वर्ष के निर्यात के पोत पर्यन्त निःशुल्क मूल्य के 3 प्रतिशत तक दी जाएगी।

तथापि, से ऊपर विनिर्दिष्ट शब्द "शुल्क" का अर्थ 01.07.2017 "मूल सीमा शुल्क" होगा।

इस अधिसूचना का प्रभावः क्षेत्र विशिष्ट निविष्टियों के शुल्क मुक्त आयात की हकदारी जो विदेश व्यापार नीति 2009–14 के अध्याय 1ख में उपलब्ध थी, को दिनांक 01.04.2015 से विदेश व्यापार नीति, 2015–20 के अध्याय 1 में पुनः शामिल किया गया है।

[फा. सं. 01/94/180/13/एएम–17/पीसी–1]

आलोक वर्धन चतुर्वेदी, महानिदेशक, विदेश व्यापार

MINISTRY OF COMMERCE AND INDUSTRY

(Department of Commerce)

(DIRECTORATE GENERAL OF FOREIGN TRADE)

NOTIFICATION

New Delhi, the 28th May, 2018

No. 09 /2015-2020

Subject: Amendment in the Chapter-1 of FTP 2015-2020.

S.O. 2171(E).—In exercise of the powers conferred by Section 5 of the Foreign Trade (Development and Regulation) Act, 1992 read with Para 1.02 of the Foreign Trade Policy, 2015-2020, the Central Government hereby makes the following amendments in the Foreign Trade Policy 2015-2020.

The following Para is inserted after Para 1.40 in Chapter 1 of the FTP 2015-20 w.e.f 01.04.2015.

"1.41. With a view to expand employment opportunities, certain special focus initiatives for Handlooms, Handicraft, Leather, Marine, Sports Goods and Toys sectors are required. These sectors are being provided the following duty free (only basic customs duty free with effect from 01.07.2017) entitlements:

i. Handlooms

a. Duty free import entitlement of specified trimmings and embellishments upto 5% of FOB value of exports during previous financial year. Handloom and made ups are included for the entitlement.

b. Duty free import entitlement of hand knotted carpet samples upto 1% of FOB value of exports during previous financial year.

ii. Handicrafts

a. Duty free import entitlement of tools, trimmings and embellishments upto 5% of FOB value of exports during previous financial year. Entitlement shall extend to merchant exporters tied up with supporting manufacturers.

b. Handicraft EPC is authorized to import trimmings, embellishments and consumables on behalf of those exporters for whom directly importing may not be viable

iii. Leather and Footwear

a. Duty free import entitlement of specified items upto 3% of FOB value of exports of leather garments during preceding financial year.

b. Duty free entitlement for import of trimmings, embellishments and footwear components for footwear (leather as well as synthetic), gloves, travel bags and handbags upto 3% of FOB value of exports of previous financial year. Such entitlement shall cover packing material, such as printed and non-printed shoeboxes, small cartons made of wood, tin or plastic materials for packing footwear.

iv. Marine Sector

Duty free import of specified specialised inputs/chemicals and flavouring oils is allowed to the extent of 1% of FOB value of preceding financial year's export.

v. Sports Goods and Toys

Duty free import of specified specialised inputs allowed to the extent of 3% of FOB value of preceding financial year's export.

However, the term "Duty" specified above shall mean "Basic Customs Duty" w.e.f 01.07.2017."

Effect of this Notification: Entitlement for duty free import of sector specific inputs which were available in Chapter 1B of FTP 2009-14 have been re-inserted in Chapter 1 of FTP 2015-20 w.e.f. 01.04.2015.

[F. No. 01/94/180/13/AM-17/PC-1]
ALOK VARDHAN CHATURVEDI, Director General of Foreign Trade

RAKESH SUKUL Digitally signed by RAKESH SUKUL
Date: 2018.05.30 19:38:18 +05'30'

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.